खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार को दिए निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्यौहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए

- 'राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्हित करे। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करे'
- 'सीएस और कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य व जिला स्तरीय कमेटी का गठन करें। केन्द्र व राज्य सरकार वैबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएं'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए बनाये गये कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि विभाग के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस खाद्य सुरक्षा और एसीएस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जस्टिस अनूप ढंड ने ये आदेश इस संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने कहा कि, संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर नियमित सैंपल की जांच करें और हर माह के अंत में अदालत में रिपोर्ट पेश कर इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

अदालत ने कहा कि आज लोग बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त है। ऐसे में हम यह जानने के लिए बहुत कम समय देते हैं कि, जो हम रोज खा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक बिल बनाया गया था, लेकिन उसे अब तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि, सरकार मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से ले, ताकि जीवन बचाया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्यौहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए।

अदालत ने मिलावट पर अंकुश लगाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी के साथ-साथ संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा है। अदालत ने जोधपुर और जयपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार कौंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य वकीलों को कहा है कि वह इस संबंध में अदालत में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की पालना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय व मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजी है।

अदालत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार बीस फीसदी खाद्य पदार्थ मिलावटी या तय मानक स्तर के नहीं हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार 70 फीसदी दूध में पानी मिला होता है। सर्वे में दूध में डिटर्जेंट भी मिला है।

अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं करता। अधिनियम असंगठित क्षेत्र, हॉकर्स आदि पर लागू न होकर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट पर ही लागू होता है। इसके अलावा सैंपल जांचने की लैब की भी कमी है। तकनीक के अभाव में खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी नहीं रख पाते हैं।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि केन्द्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्हित करे। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करे। सीएस और कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य व जिला स्तरीय कमेटी का गठन। केन्द्र व राज्य सरकार वेबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

भाजपा विधायक दल की बैठक आज

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही 3 जुलाई से चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ बजट पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाए गए सवालों के जवाब भी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा तैयार करवाए गए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद सदन में पिछली विधानसभा के लंबित सवालों के जवाब भी 3 माह के दौरान पेश करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे में वर्तमान में सदन में लगाए गए सभी सवालों को जवाब समय पर लगाए जाएंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही नहीं चलने के बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उनके पास सदन में चर्चा के लिए कोई विषय नहीं है।

NAME CHANGE

I, ANSHU DEVI, is Spouse of Army No. 15347354Y Rank :HAV, Name: ARUN KUMAR, Residing At Vill. & Post KAMTA, Teh: ARWAL Dist-ARWAL, State BIHAR Pin-804428 have change my Name from ANSU DEVI to ANSHU DEVI vide Affidavit No.BW 247486 Dated 29/06/2024 before Court campas Nasirabad

LSG/BEAWAR / MUT / 2024-25/90702 DATE:- 27-06-2024 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/ नगरीय विकास कर / 2024-25/3621 दिनांक- 01/07/2024

सार्वजनिक सूचना

श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री हरीशचन्द्र जैन निवासी ब्यावर, ने क्षेत्र नं. 3. सूरज कॉलोनी-द्वितिय खसरा नम्बर 1404 से 1406 प्लाट नम्बर 134 क्षेत्रफल 222.81 वर्गगज जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री धीरेन्द्र सोनी पुत्र श्री अमरचन्द जी सोनी के नाम दर्ज है। रजि. बेचान-नामा दिनांक 05.07.2016, व स्वयं घोषणा शपथ प प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रम दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

SG / BEAWAR/MUT/2024-25/89602 DATE :- 19-06-2024 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/ नगरीय विकास कर / 2024-25/3622 दिनांक- 01/07/2024

सार्वजनिक सूचना

श्री सोभागमल पुत्र श्री लाल चन्द नाहर निवासी ब्यावर, ने क्षेत्र नं. 5. मुणोत नगर मकान नं. 29 क्षेत्रफल 193.33 वर्गगज जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री मोहन लाल के नाम दर्ज है रजि.बेचान-नामा दिनांक 07.06.2024, व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रम दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

मनजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी कमांड की कमान संभाली

लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह।

जयपुर, (कासं)। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 1 जुलाई 2024 को प्रेरणा स्थल में एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित कर, जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभाली।

ज्ञात रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के छात्र हैं। उन्होंने दिसम्बर 1986 में 19 मद्रास में कमीशन लिया। करीब 37 साल के अपने प्रतिष्ठित और शानदार सैन्य करियर में, उन्हें जम्मू कश्मीर और पश्चिमी मोर्चे पर कमांड और स्टाफ नियुक्तियों का गौरव प्राप्त हुआ है। जनरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन में अपनी बटालियन की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा पर इन्फैंट्री ब्रिगेड, डेजर्ट स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में एक इन्फैंट्री डिवीजन और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन में नियंत्रण रेखा पर तैनात कोर की कमान भी संभाली। उनकी विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन में तैनात कोर में कर्नल जीएस (आईडब्ल्यू) और कमांड मुख्यालय में कर्नल जीएस (ऑप्स/एयर), बीजीएस (ऑप्स), एमजीजीएस (ऑप्स) और सीओएस शामिल हैं। उनकी अनुदेशात्मक नियुक्तियों में भारतीय सैन्य अकादमी में प्लाटून कमांडर और प्रशिक्षक सीएलसी और भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (इग्ट), भूटान में डीएस कोऑर्ड शामिल हैं।

राहुल गांधी का बयान अति निंदनीय : वैष्णव

जयपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिंदगी भर बिना जिम्मेदारी के पावर एंजॉय करने वाले राहुल गांधी ने आज पहली बार जिम्मेदारी का पद ग्रहण करने के बाद भी बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अध्यक्ष पद पर उनका बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और अति निंदनीय है। कांग्रेस और राहुल गांधी का यह पुराना चाल, चरित्र और चेहरा जिसने हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को कमजोर किया है। इससे पहले उन्होंने प्रेस क्लब में अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था।

वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह की लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर सोनिया गांधी चलाती थीं। कांग्रेस वो पार्टी जिसने कमिटेड ज्यूडिशरी की बात की। राहुल गांधी भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे पर झूठी और भ्रामक बात कही। 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा दुकानों को जन भागीदारी के तहत रीलोकेट भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताया है। यह बेहद निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरे हिंदू समाज का अपमान है। 2010 में इनके तत्कालीन मंत्री पी चिदंबरम ने और 2013 में इनके तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को बेहद नीचा किया है। संसद में चर्चा के दौरान हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना किसी भी तरीके से नेता विपक्ष के लिए शोभनीय नहीं है।

कैबिनेट की बैठक आज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

इस बैठक में कहीं महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में बजट सत्र में किए जाने वाले विधायी कार्यों के अनुमोदन, विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों को लेकर विचार किया जाएगा। तबादला नीति के विभागों के अलग अलग प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी।

डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में भजन संध्या आज

जयपुर, (कासं)। डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में जयपुर के बनीपार्क स्थित बनीपार्क धर्मार्थ संस्थान में मंगलवार शाम 5 से 6 बजे तक भजन संध्या आयोजित की जायेगी। डॉ. अग्रवाल बेहद संजीदा, लोकप्रिय और समाजसेवी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से "मास्टर ऑफ सर्जरी" विषय के स्वर्ण पदक विजेता रहे। उन्होंने करीब 2 दशक तक प्लास्टिक सर्जरी के नि:शुल्क शिविर भी लगाए।

डॉ. राहुल अग्रवाल के पिता सतीश चंद्र अग्रवाल जनसंघ के वरिष्ठ नेता और प्रखर वक्ता थे। वे वर्ष 1977 से 1984 तक दो बार जयपुर से सांसद रहे, बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। सतीश चंद्र अग्रवाल वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम नौसर रातीडांग योजना के आवासीय खसरा संख्या 179 - ए क्षेत्रफल 485 वर्गगज के आवंटी श्री मनमोहन गुप्ता पुत्र स्व. श्री श्री चंद गुप्ता निवासी पुलिस चौकी के पीछे, केसरगंज अजमेर की मृत्यु दिनांक 15/10/2011 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमश: श्रीमती प्रीती गोयल पत्नि श्री संजय गोयल, मनीव गुप्ता पुत्र स्व. श्री मनमोहन गुप्ता, अतुल गुप्ता पुत्र स्व. श्री मनमोहन गुप्ता गुप्ता द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व श्री मनमोहन गुप्ता निवासी पुलिस चौकी के पीछे, केसरगंज अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 17/03/2023 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक / नियमन / 2024-25 / 147 दिनांक 01 / 07 / 2024

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृर्षिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	ओमप्रकाश खत्री पुत्र लेखराज हिस्सा पूर्ण जाति खत्री सा. आदर्श नगर ब्यावर खातेदार।	देलवाडा	2362 / 1576	0.0576 हैक्टेयर
2	श्रीनिवास पुत्र मानसिया हिस्सा पूर्ण जाति धोबी सा. बागचीनी मोरेना (म.प्र.) हाल निवासी शेरा की बावडी देलवाडा खातेदार।	देलवाडा	2363 / 1577	0.0890 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो की सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा के निर्वापन कोई आक्षेप है तो, वह इस नोटिस के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर.-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है व तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 01/07/2024 को जारी की गई।

प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद ब्यावर

लोक सूचना

आवेदक डॉ. रमेश पुत्र श्री शान्तिलाल क्षेत्रपाल व डॉ. सरोज क्षेत्रपाल पत्नी श्री रमेश क्षेत्रपाल निवासी मकान नं 18 गणेशपुरी सोसाइटी कुन्दन नगर अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ-अजमेर	नयागांव	57 व 59	खसरा नम्बर 57 व 59 क्षेत्रफल 20548.0 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूवीक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23/6/24 को जारी की गयी।

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़।

कार्यालय ग्राम पंचायत हनुतिया पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:ग्रा.प.../महानरेगा/निविदा/2024-25/259 दिनांक- 01/07/2024

ई-निविदा सूचना-26/2024-25

ग्राम पंचायत हनुतिया वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02/07/2024 से दिनांक 23/7/24 तक ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एवं वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। NIB No. ZAJ 2425A0123 ZAJ 2425GLOB00127

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत हनुतिया — ग्राम पंचायत हनुतिया

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

'संकल्प पत्र' के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की बैठक ली उपमुख्यमंत्री ने

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने संकल्प पत्र-2023 के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार, राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करें। संकल्प पत्र मे से 38 बिन्दुओं की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है, शेष बचे सभी वादे जल्द पूरे किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द सोमवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में संकल्प पत्र के 9 थीम पर आधारित 343 बिन्दुओं की क्रियान्विति के लिए इनसे संबंधित 47 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के ऐसे बिन्दु जिनका सीधा सम्बन्ध जनहित से है उनको प्राथमिकता देकर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी विभाग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्ग दर्शन में संकल्प पत्र के बिन्दुओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।

राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को जन्म दिन पर श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को फोन कर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्म दिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने फोन पर राज्यपाल मिश्र के आदर्श व्यक्तित्व और अनुकरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

राज्यपाल के जन्म दिन पर सोमवार प्रात: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मोदी ने मिश्र के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के मान बढ़ाने में उन्होंने शुचिता के साथ आदर्श जीवन मूल्यों को जिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने मिश्र को जन्म दिन पर पुष्पगुच्छ के साथ श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की और शॉल, दुपट्टा ओढाकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मिश्र को जन्म दिन पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा सहित देश के विभिन्न राज्यों से मंत्री, सांसद, विधायक एवं विशिष्टजन ने भी फोन कर बधाई दी।

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस का अधिग्रहण किया

जयपुर, (का.सं.)। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के एक अग्रणी एफएमसीजी स्पेस में एक मजबूत ब्रांड इक्विटी और देश भर में एक वफादार उपभोक्ता आधार रखती है। इस एचपीसी व्यवसाय में वर्तमान में चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जिनमें डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर और हेयर केयर शामिल हैं। एचपीसी व्यवसाय के अधिग्रहण की यह रणनीतिक पहल कंपनी के मौजूदा एफएमसीजी उत्पाद के पोर्टफोलियो को प्रतिष्ठित ब्रांडों की एक श्रृंखला के साथ मजबूत करेगी और राजस्व एवं एबिटा की वृद्धि में भी योगदान देगी।

पीएफएल, पीएएल के संपूर्ण व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के आधार पर अधिग्रहीत करने के लिये तैयार है, और इसमें व्यवसाय, संबंधित कर्मचारियों वितरण नेटवर्क, अनुबंधों, लाईसेंसों, परमिटों सहमतियों और इस ऑपरेशन के लिये आवश्यक अनुमोदनों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियां शामिल हैं। एचपीसी व्यवसाय के हस्तांतरण के लिये कंपनी और पीएएल के बीच 1100 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि पर पारस्परिक रूप से बातचीत की गई है, जो प्रथागत समापन तिथि समायोजन और कंपनी और पीएएल के बीच निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय हस्तांतरण समझौते में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत जामोला पंचायत समिति मसूदा अजमेर

क्रमांक:पसम/लेखा/निर्माण/2024/215 दिनांक- 1/7/2024

ई-निविदा सूचना

ग्राम पंचायत जामोला पंचायत समिति मसूदा के विभिन्न ग्राम मे निर्माण कार्यों हेतु ई-निविदा आंमत्रित कि जाती है। अनुमानित लागत 18.00 लाख रू धरोहर राशि 36000/-, फार्म शुल्क 500/- (प्रति कापी) टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क 500/- (प्रति कापी) के डी.डी. / बैंकर चैक दिनांक 12.07.2024 को प्रात: 11.00 बजे तक ग्राम पंचायत जामोला में व्यक्तिगतश: उपस्थित होकर जमा कराना होगा। निविदा दिनांक 15.07.2024 को पंचायत समिति मसूदा के ई-प्रकोष्ठ में खोलीजावेगी। विस्तृत शर्तें निविदा फार्म उल्लेखित है। http://sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। UBN No. ZAJ2324WSOB00118

सरपंच ग्राम पंचायत जामोला पंचायत समिति मसूदा

कार्यालय ग्राम पंचायत कानाखेडा पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:ग्रा.प..../महानरेगा/निविदा/2024-25/253 दिनांक- 01/07/2024

ई-निविदा सूचना-25/2024-25

ग्राम पंचायत कानाखेडा वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02/07/2024 से दिनांक 23/7/24 तक ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एवं वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। NIB No. ZAJ 2425A0122 ZAJ 2425GLOB00126

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत कानाखेडा — ग्राम पंचायत कानाखेडा

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:सामान्य/निविदा/2024-25/2050 दिनांक- 1/7/2024

निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना-01/2024-25

पंचायत समिति मसूदा मे वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए वाल पेटिंग एवं हैण्डपम्प स्थापना हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02.07.2024 से दिनांक 15.07.2024 तक वेबसाइट http:// http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एंव वेबपोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

NIB NO: ZAJ2425A0137 ZAJ2425GLOB00141

प्रधान — विकास अधिकारी

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मसूदा पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:ग्रा.प.म./महानरेगा/निविदा/2024-25/238 दिनांक- 01/07/2024

ई-निविदा सूचना-30/2024-25

ग्राम पंचायत मसूदा वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02/07/2024 से दिनांक 23/7/24 तक ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एवं वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। NIB No. ZAJ 2425A0136 ZAJ 2425GLOB00140

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत मसूदा — ग्राम पंचायत मसूदा

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मोयणा पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:ग्रा.प.मोयणा/महानरेगा/निविदा/2024-25/271 दिनांक- 01/07/2024

ई-निविदा सूचना-28/2024-25

ग्राम पंचायत मोयणा वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02/07/2024 से दिनांक 23/7/24 तक ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एवं वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। NIB No. ZAJ 2425A0134 ZAJ 2425GLOB00137

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत मोयणा — ग्राम पंचायत मोयणा

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

कार्यालय ग्राम पंचायत रामगढ़ पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:ग्रा.प.../महानरेगा/निविदा/2024-25/277 दिनांक- 01/07/2024

ई-निविदा सूचना-29/2024-25

ग्राम पंचायत रामगढ़ वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02/07/2024 से दिनांक 23/7/24 तक ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एवं वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। NIB No. ZAJ 2425A0135 ZAJ 2425GLOB00139

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत मोयणा — ग्राम पंचायत मोयणा

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सनावडिया पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक:ग्रा.प..../महानरेगा/निविदा/2024-25/238 दिनांक- 01/07/2024

ई-निविदा सूचना-27/2024-25

ग्राम पंचायत सनावडिया वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02/07/2024 से दिनांक 23/7/24 तक ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा एवं वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। NIB No. ZAJ 2425A0132 ZAJ 2425GLOB00136

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत सनावडिया — ग्राम पंचायत सनावडिया

पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर) — पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा, मु. सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण

दुरभाष नम्बर-01425-228219 ई-मेल-tdrsbr@ymail.com

क्रमांक-भू.अ./2024/2982 दिनांक-28.06.2024

सार्वजनिक सूचना नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मंसूरबक्स पुत्र लालू जाति मुसलमान निवासी निर्वाणों का मोहल्ला छोटा बाजार सांभरलेक तह. फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में मृतक महबूब अली उर्फ महमूद बक्स पुत्र गेंदा खां उर्फ हेदर बक्श जाति मुसलमान के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खाता संख्या 212, 214 वाके ग्राम कस्बा सांभर का वसीयत के आधार पर नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1856 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचाराधीन है।

अत यदि किसी दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 19.07.2024 तक पेश करें अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

तहसीलदार (भू.अ.)

फुलेरा मु. साँभरलेक